संख्या-2/2018/641/86-2018-198/2011टीसी

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 21 मार्च, 2018

विषयः- भूमिधरी, कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2883/86-2017-198/2011टीसी-1, दिनांक 02.11.2017 द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-52'क' के अन्तर्गत कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/ मौरम को हटाने हेतु अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि निजी भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण जिला स्तर पर कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र निस्तारण हेतु लम्बित पड़े है। जनपद स्तर पर आदेश दिनांक 02.11.2017 का प्रभावी ढ़ग से पालन न किये जाने पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया।

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित जनपद स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2018 तक गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेकर दिनांक 02.04.2018 तक संलग्न प्रारूप पर कृतकार्यवाही की सूचना ई-मेल पर निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण एवं जनहित से सम्बन्धित होने के कारण इस सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /86-2018-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जनपदों से दिनांक 02 अप्रैल, 2018 तक प्राप्त सूचना संकलित कर अपनी सुस्पष्ट आख्या एवं संस्तुति के साथ एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-641/86-2018-198/2011टीसी-1, दिनांक 21.03.2018 का संलग्नक
(दिनांक 31.03.2018 तक की स्थिति के आधार पर)

प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	कार्यवाही हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

shasanadesh.up.nic.in